भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3748
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-आशा

3748. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष का एकीकृत कार्यान्वयन किस प्रकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं को उत्पाद किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने में सहायक है;

(ख) सरकार किसानों को उनके पंजीकरण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद हेतु किस प्रकार सहायता प्रदान करती है; और

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के ई-समृद्धि और ई-समुक्ति पोर्टल किस प्रकार किसानों के पंजीकरण और उपज की खरीद की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाते हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) भारत सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के घटक मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के साथ-साथ मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) हैं।

पीएसएस का संचालन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर तब किया जाता है जब अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के बाजार मूल्य चरम कटाई अवधि के दौरान अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाते हैं। इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य, एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के माध्यम से किसानों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है। पीएसएस के तहत, निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों के अनुरूप, पात्र वस्तुओं

की खरीद, नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) द्वारा की जाती है जो राज्य स्तरीय एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाती है। यह खरीद सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाती है, जिनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड होते हैं, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और एमएसपी का लाभ सीधे किसानों को देना सुनिश्चित किया जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग, एकीकृत पीएम-आशा के पीएसएफ घटक का प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाना और किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पीएसएफ बफर के तहत खरीदी गई वस्तुओं को कम आपूर्ति और उत्पादन वाले सीजन के दौरान संतुलित तरीके से जारी किया जाता है। सरकार, पीएसएफ के तहत तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर और प्याज जैसी प्रमुख दालों का बफर स्टॉक रखती है।

पीएम-आशा के तहत, पीएसएस और पीएसएफ का एकीकृत कार्यान्वयन एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है जो एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के माध्यम से किसानों का सहायता प्रदान करता है और मूल्य स्थिरीकरण उपायों के माध्यम से उपभोक्ता हितों को संबोधित करता है, जिससे किसान कल्याण और खाद्य मूल्य स्थिरता दोनों में योगदान प्रदान किया जाता है।

(ख): पीएम-आशा के अंतर्गत, सरकार किसानों को सीएनए, राज्य सरकारों और उनकी नामित एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्य शुरू होने से पहले सहायता प्रदान करती है। किसानों की भागीदारी और सुचारू पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए, सीएनए, राज्य सरकारों और प्राथमिक खरीद एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खरीद सत्र से पूर्व व्यापक जागरूकता सृजन और प्रचार गतिविधियाँ की जाती हैं।

(ग): मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत पारदर्शिता, दक्षता और परिचालन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, नेफेड और एनसीसीएफ ने क्रमशः ई-समृद्धि और ई-समुक्ति समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। ये पोर्टल, किसान पंजीकरण से लेकर अंतिम भुगतान तक पूरी खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है। किसान, आधार संख्या, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता सूचना, फसल विवरण आदि जैसे मूलभूत विवरण प्रदान करके इन पोर्टलों पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पूर्व-पंजीकृत किसान, यदि योजना के तहत अपना स्टॉक पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे अपने निकटतम खरीद केंद्र का चयन कर सकते हैं, इसके बाद, किसी विशेष तिथि पर केंद्र पर भौतिक रूप से जाने के लिए पोर्टल द्वारा समय-निर्धारण किया जाता है। यह प्रणाली किसानों के बैंक खातों में एमएसपी भुगतान का समय पर और सीधा अंतरण सुनिश्चित करती है, जिससे देरी और मध्यस्थों की समस्या समाप्त हो जाती है।

*****